BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज उत्पीड़न के 01 आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 14,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र दिनेश कुमार निवासी याकूबपुर बैलोट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2019 में दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2019 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 193/2019 धारा- 498ए, 306 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.09.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.11.2023 को मा0 न्यायालय एफटीसी-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भूपेन्द्र को 05 वर्ष का कारावास व 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर